शोध का परिचय :-

यौन शोषण, एक ऐसा व्यवहार जो अमानविय कृत को एक ही शब्द में परिभाषित कर देता है। यौन शोषण जो मानव दुर्व्यवहार को जन्म देता है और जब ऐसे दुर्व्यवहार (यौन शोषण) किसी बच्चे के साथ हो तो यह किसी प्राण घात से कम नहीं होता। सीधे अर्थों में कहा जाए तो बाल यौन शोषण बच्चों के बाल मन को पूर्ण रूप से अपंग बना देता है। एक ऐसा शोषण जो वर्तमान समय में चाहे वह लड़का हो या लड़की दोनों ही यौन शोषण के शिकार होते हैं। आज बच्चे किसी न किसी रूप में यौन शोषण के शिकार हो रहे हैं, जो शारीरिक, मानसिक और व्यावहारिक तौर पर उनमें बहुत बुरा प्रभाव छोड़ता है। आज के समय में शोषण की व्याख्या करना जो बच्चों के यौन शोषण से संबंधित हो बहुत ही जटिल होता जा रहा है जिन रूपों में बच्चों का शोषण हो रहा है वह कल्पना से परे है।

भारत हो या कोई भी देश या फिर कोई भी स्थान, जहाँ ज्ञान का प्रसार होता है जो आदि काल से चला आ रहा है जिसका एक नियत स्थान है जिस स्थान को ज्ञान के मंदिर का दर्जा दिया गया है। एक ऐसा स्थान जो बच्चों के वर्तमान और भविष्य को बनाता है बच्चों को आने वाले समय के लिए शिक्षित करता है प्रशिक्षित करता है मानव व्यवहार के ज्ञान को विकसित करता है बच्चों को मानव समाज को समझने में मदद करता है और आस-पास होने वाली क्रिया-प्रतिक्रिया को उसके हर उम्र के अनुसार धीरे-धीरे उनमें समाहित करता है साधारण शब्दों में कहे तो उन्हें पूर्ण विकसित बनाने में उनकी मदद करता है। विद्यालय जो वर्तमान मानव समाज की एक बहुत बड़ा और एक मुख्य अंग है जहाँ की दुनिया बाहरी दुनिया से बिलकुल ही अलग होती है वहां अलग नियम व कानून होते हैं जो उस विद्यालय द्वार ही बनाए जाते हैं ऐसे ही कुछ और नियम व कानून है जो हमारे देश द्वारा बनाया गया है जैसे की हम जानते हैं की भारतीय संविधान में 6 वर्ष से14 वर्ष तक के सभी बच्चों को निशुल्क शिक्षा प्राप्त करने का अधिकार है,यह लिखित रूप से प्रस्तुत किया गया है तथा इसके साथ ही बाल अधिकारों की घोषणा भी की गई है, जो उसके विकास और सुरक्षा को सुनिश्चित करता है जिसे बच्चों के विकास का प्राथमिक अधिकार माना गया है और इस विकास कार्य का प्रथम चरण विद्यालय से ही प्रारंभ होता है उसके व्यक्तित्व के निर्माण के साथ ही साथ शारीरिक,मानसिक और मनोवैज्ञानिक समझ प्रदान की जाती है। उसे अच्छे बुरे की समझ से

पहचान की सीख दी जाती है कभी-कभी बच्चों की श्रेष्ठता के निर्माण में यह पीड़ादायक केंद्र भी बन जाता है। इन सब प्रक्रिया के दौरान उनका शारीरिक और मानसिक शोषण भी किया जाता है जो प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष दोनों ही प्रकार के होते हैं जिसे मानव समाज एक ऐसी प्रक्रिया समझता है जो बच्चों के निर्माण के लिए आवश्यक है हमारा समाज जो शोषण को समझता भी है और जानता भी है और विद्यालय भी हमारे समाज का ही एक हिस्सा है जहाँ होने वाली सारी क्रिया को यह मानव समाज नहीं समझता है तो फिर वहां होने वाले यौन शोषण को बच्चे भला कैसे समझ सकते हैं यह वर्तमान समय में एक गंभीर और चिंता का विषय है जहाँ एक तरफ देश और समाज की विकास की चर्चा की जाती है उसके लिए प्रयत्न किये जाते हैं वहीं दूसरी तरफ देश और समाज का भविष्य दिनों दिन बाल यौन शोषण के काले साया के नीचे दबता जा रहा है जिस तरह से बच्चें बाल यौन शोषण का शिकार हो रहे है और यह जिस तरह से बढ़ता जा रहा है जिसके दमन का प्रयास तो है किन्तु सफलता नहीं !

क्योंकि अब यह स्वीकार तो किया जाता है की बच्चों के साथ या बच्चे यौन शोषण के शिकार हो रहे है जिसमें नवजातशिशु से ले कर किशोर अवस्था तक सभी उम्र के बच्चों के साथ हर पल हर दिन यौन शोषण होता है किन्तु इसके बारे में बात करना जितना मुश्किल है उससे भी कंही ज्यादा बच्चों से बच्चों के साथ होने वाले बाल यौन शोषण के बारे में जानकारी देना आज एक बहुत बड़ी समस्या है बच्चों का यौन शोषण स्कूल तक ही सीमित नहीं रह गया है घर हो या बहार आज हर दूसरा बच्चा बाल यौन शोषण का शिकार होता जा रहा है चाहे विद्यालय के शिक्षकों के द्वारा या फिर घर में या घर के आस पास रहने वाले लोग या रिश्तेदार या कोई अपरिचित किसी भी स्थान में बच्चे सुरक्षित नहीं रह गए है ऐसे असुरक्षा के माहौल में बच्चों का विकास कैसे संभव हो सकता है जब घर पर रहने वाले लोगों द्वारा ही वह ऐसे शोषण का शिकार हो रहा तो फिर आज वो बच्चा खुले आसमानों के नीचे कैसे रह सकता है जब घर पे रहने वाला बच्चा सुरक्षित नहीं है तो उन बच्चों का क्या जो लावारिस और फुटपात में रहते है।

बाल यौन शोषण के इतिहास पे नजर डालें तो शोषण की सूची में हर वह स्थान है जिसे देश और हमारा समाज सुरक्षित समझते हैं बड़े से बड़े संस्थानों में, अनाथालय में, छात्रावासों में, प्रेक्षागृहों में, सुधारगृह में, जो बच्चों से संबंधित है जिसे हमारे देश व कानून से सहायता प्राप्त होते हैं और सुरक्षा भी दी

जाती है जिसके विकास के नए कार्यक्रम बना कर क्रियान्वित किया जाता है आज उन सभी स्थानों में भी बच्चों का यौन शोषण एक विकराल रूप में नजर आता है टी .वी. ,न्यूज़ पेपर , सोशल मिडिया इन सभी के आवाजों में एक ही शोर है ,बच्चों के होने वाले शोषण की खबर और जिसे पूरा समाज सुनता है उसके बावजूद वर्तमान के दृश्य में किसी भी तरह का कोई परिवर्तन नहीं है।

नई दिल्ली में 16 दिसंबर 2012 को एक छात्र का बलात्कार और हत्या ने एक बहुत बड़ा आंदोलन को जन्म देता है जो भारत में यौन हिंसा की समस्या के विश्लेषण को प्रेरित करता है और राजनीतिज्ञों, वकीलों और महिला अधिकार कार्यकर्ताओं द्वारा नए कानून,नीतियों में सुधार और सार्वजनिक शिक्षा के लिए नए प्रस्ताव की मांग करता है है। जिससे सरकार कार्यवाई करने का वादा तो किया जाता है लेकिन सरकार द्वारा कोई कार्यवाई तो नहीं होती है तो यह आन्दोलन अनेक भारतीयों को अपने देश में हो रही यौन हिंसा के बारे में जागरूक तो किया।

जिससे भारत में महिलाओं में होने वाले यौन हिंसा के प्रति बड़े पैमाने पर जागरूकता आई, लेकिन बच्चों के यौन-उत्पीड़न के विषय में आज भी बहुत कम जानकारी उपलब्ध है कुछ रिपोर्टों के अध्ययनों से ज्ञात हुआ है की प्रतिवर्ष 7200 बच्चों के साथ बलात्कार होता है; जिनमें शिशु भी शामिल है विशेषज्ञों का मानना है की मामले इससे भी अधिक होते हैं लेकिन उनकी रिपोर्ट नहीं की जाती। नई दिल्ली में बलात्कार के बाद महिलाओं के प्रति हिंसा पर चिंता व्यक्त करते हुए संयुक्त राष्ट्र बालकोष (यूनिसेफ) की भारत में प्रतिनिधि, लुइ जार्जेस आर्सेनाल्ट ने कहा की "इनमें से अनेक मामले बच्चों से संबंध है बच्चों का घरों पर संबंधियों द्वारा, उनके पड़ोस में, स्कूलों में, अनाथों और जोखिम वाले अन्य बच्चों के लिए बने आवासीय परिसरों में यौन उत्पीड़न होता है इनमें से अनेक मामलों की रिपोर्ट ही नहीं की जाती है। कई के साथ ,दूसरी बार फिर दुर्व्यवहार होता है तब जब आपराधिक न्याय व्यवस्था या तो उनकी व्यथा सुनना ही नहीं चाहता ,या उस पर विश्वास नहीं करना चाहती। इस शोध का प्रयास इस समस्या की व्यापकता का

आकलन करना ही नहीं वरन बाल उत्पीड़न और बाल यौन शोषण को रोकने के लिए सरकार,समाज व विद्यालयों द्वारा किस प्रकार के प्रयास किये जा रहे है से संबंधित है ।[1]

क्योंकि बाल यौन उत्पीड़न जैसे शोषण का सामना करना विश्व भर में बहुत बड़ी चुनौती है जो पीड़ित शिकायत करने के लिए सामने आ भी जाते हैं उन्हें परिणाम स्वरुप बहुत कष्ट उठाना पड़ता है।

उदहारण :-

अहमद ने **ह्यूमन राइट्स वाच** को बताया की उनकी 12 वर्षीय बेटी ने जब यह बताया की उसका बलात्कार हुआ है तो उनके परिवार को बहिष्कार का सामना करना पड़ा । उसका कहना था की यह उत्तरी नगर वाराणसी में तब हुआ जब दोपहर वह पैदल अपने घर जा रही थी और तीन व्यक्तियों ने उसका अपहरण कर लिया था। अहमद ने कहा की उन्होंने इस बारे में पुलिस को सूचित करने का फैसला किया क्योंकि कई स्कूली छात्राएं उसी मार्ग से होकर जाती थीं और उन्हें उनकी सुरक्षा की चिंता थी। किंतु अपने पड़ोसियों का आभार मिलने के स्थान पर उन्हें और उनकी बेटी को जिसके साथ सगाई होने वाले मंगेतर व उनके माता-पिता ने सगाई तोड़ दी, क्योंकि उन्हें लगा की इस घटना का सार्वजनिक होना उनके परिवार के लिए बहुत ही लज्जा की बात है। पुलिस ने उन्हें शिकायत लिखाने में भी हतोत्साहित किया, जिससे वो किसी तरह के कार्यवाई करने से बच सके, परिवार पर झूठ बोलने का आरोप लगाया। अहमद ने ह्यूमन राइट्स से कहा: मेरी बेटी लगातार कह रही थी की उसका बलात्कार हुआ है किन्तु पुलिस ने हम से कहा की हम यह बात किसी से न कहें। उन्होंने हम से मामला निपटाने को कहा । जब मैंने इनकार किया तो पुलिस ने मुझे पकड़ कर कई चांटे मारे । तीन-चार लोगों ने मेरे साथ यह किया जिनमें पुलिस आफिसर भी शामिल था। उन्होंने मेरे बेटे को भी पीटा । सामाजिक कलंक के भय के परिणामस्वरूप परिवारों द्वारा बच्चों के साथ हुए अत्यंत भयावह दुर्व्यवहार को भी छिपाने का प्रयास किया जाता है।[2]

[1] https://www.hrw.org/sites/default/files/reports/india0213hi_reportcover_webUpload.pdf
[2] https://www.hrw.org/sites/default/files/reports/india0213hi_reportcover_webUpload.pdf

स्पष्ट तौर पर यह कहा जा सकता है की बाल यौन शोषण या बाल उत्पीड़न आज सिर्फ हमारे देश या समाज की ही समस्या नहीं है अपितु पूरे विश्व के लिए एक बहुत बड़ी चुनौती बन गया है जिसका निवारण करना अत्यंत ही आवश्यक है किन्तु इसका समाधान करना उतना ही कठिन है हर समझ की परिभाषा जिस शिक्षा के द्वारा दिया जाता है आज वही शिक्षा और शिक्षा के संस्थानो पर प्रश्न उठ रहे है।

❖ सैद्धांतिक पृष्ठभूमि:-

एनसीपी आर की चेयरपर्सन स्तुति कक्कड़ ने बच्चों के होने वाले शोषण के एक नया रूप जो ऑफलाइन था वो हिंसा आज ऑनलाइन (सोशल मिडिया) जगत में नया रूप ले रहा है जिसका बच्चों पर बहुत ही गहरा असर पड़ता जा रहा है बच्चों के साथ होने वाले साईबर अपराधों के कई रूप है जैसे अश्लील सन्देश, ऑनलाइन ग्रुमिंग, बच्चों के लिए हानिकारक सामग्री का उत्पादन और वितरण, साइबर वुलिंग आदि। हांलाकि भारत में अब तक बच्चों के खिलाफ होने वाले साइबर अपराधों को दर्ज नहीं किया जाता है इन पर बहुत कम ध्यान दिया जा रहा है और इन्हें एक अलग श्रेणी के रूप में राष्ट्रिय अपराध रिकॉर्ड ब्यूरों के आंकड़ों में शामिल नहीं किया गया है।[3]

एलफ्रेड किन्जी द्वारा 1950 के एक अध्ययन के अनुसार पांच महिने की उम्र से ही बच्चे यौनाभिज्ञ होने लगते है वे सारे स्पर्शों को केवल शारीरिक माध्यम से ही ग्रहण करते है दूसरा तरीका जो सामाजिक व्यवहार से अर्जित होता है, वह उन में लम्बे समय तक विकसित नहीं होता। उचित और अनुचित का सामाजिक बोध उन्हें पांच वर्ष की आयु के बाद समझ आने लगता है इसलिए और भी आवश्यक है की बच्चों की शारीरिक क्रियाओं से पैदा होने वाले आभासों और उत्तेजनाओं को बहरी हस्ताक्षेपों (स्पर्शो) से दूषित न किया जाए। अजीब-अजीब तरीकों से हम बच्चों को ऐसी उत्सुकताओं से भर देते है जिन का उत्तर देने का साहस व्यस्क करते ही नहीं और उनके अपने आप उत्तर खोजने का प्रयास समाजोचित नहीं रह जाता।

[3] http://www.news9express.com/breaking/unicef

दोनों तरफ से वयस्कों की दुनिया बच्चों को निराश करती इसी निराश और उत्सुक स्थिति में बच्चों का शोषण शुरू होता है।[4]

ग्रेस पूर (gracepoor) द्वारा सम्पादित the चाइल्ड ren we sacrifice के अनुसार 1997 में साक्षी संतान दिल्ली की 350 स्कूली छात्रों के सर्वेक्षण से ज्ञात हुआ। इन में से 25 प्रतिशत का किसी भी प्रकार का बलात्कार हुआ। लगभग 33 प्रतिशत-एक तिहाई ने कहा की उनका शोषण पिताओं, दादाओं या अन्य पारिवारिक सदस्यों-मित्रों द्वरा हुआ। 1999 में टाटा इंस्टीट्यूट आफ सोशल सर्विसिज द्वरा 1994-95 में मुंबई की 150 लड़कियों के अध्ययन अनुसार 58 में से 50 प्रतिशत का शोषण करने वाले परिवार के सदस्य ही थे।1997 में दिल्ली में (RAAHI)राही संस्थान द्वारा दिल्ली,मुंबई,कलकत्ता और गोआ में रहने वाली 1000 मध्यवर्गीय और उच्चवार्गीय लड़कियों के अध्ययन में सामने आया की इनमें 76 प्रतिशत का शोषण बचपन में हो चूका था। इन में 71 प्रतिशत का शोषण परिवार के सदस्य ने या निकट परिचित ने किया।[5]

बैंगलोर की एक संस्था 'संवाद' अनुसार 1916 में हाई स्कूल में पढ़ने वाली छात्राओं से मालूम हुआ की 47 प्रतिशत का यौन शोषण हो चूका था। पिंकी विरानी और उनके सहयोगी द्वारा एक अध्ययन में 1985 में देखा गया की 30 प्रतिशत औरतों और 10 प्रतिशत आदमियों का बचपन में ही यौन शोषण हो चूका था। यह आंकड़े समाजशास्त्रियों के तथ्य भलें ही हों, सामाजिक तथ्य ये नहीं है। उन समाजों में जहाँ अब तक खुल कर यौन शोषण की बात न की जा सकती हो, वहां आंकड़े सिर्फ एक ऊपरी तस्वीर जरुर दिखा सकते हैं। निश्चित ही समस्या आंकड़ों से कहीं अधिक गंभीर और गहरी है।[6]

[4] http://www.hindisamay.com/vividh/krishn-kishor-in-anyatha/yaun-pradushan-bal-shoshan.htm
[5] http://www.hindisamay.com/vividh/krishn-kishor-in-anyatha/yaun-pradushan-bal-shoshan.htm
[6] http://www.hindisamay.com/vividh/krishn-kishor-in-anyatha/yaun-pradushan-bal-shoshan.htm

अमरीकी समाज में आए दिन आंकड़े आते है और बदलते है। लेकिन तथ्य कुछ इस प्रकार है की लगभग 62 प्रतिशत स्त्रियां और 31 प्रतिशत पुरुष अपने बचपन में ही शोषित हो चुके थे। इनमें 20 प्रतिशत का शोषण पिताओं द्वारा हुआ । लगभग बीस प्रतिशत का शोषण अन्य निकट संबंधियों द्वरा हुआ। 55 प्रतिशत का शोषण माँओं द्वारा हुआ। यह 2002 के राष्ट्रिय आंकड़े है । अफ्रीका में केवल घरेलु यौन शोषण इतना अधिक है जितना योरोप जैसे विकसित देशों में कुल मिलाकर है । युगांडा में 46 प्रतिशत, तंजानिया में 60 प्रतिशत, केन्या में ४५ प्रतिशत और जाम्बिया में 45 प्रतिशत स्त्रियों का केवल उन के घरों में ही शोषण किये जाने के आंकड़े है । फिर वही बात है की उसकी सही तस्वीर सामने नहीं आती और कुछ ऐसी प्रथाएं हैं जिन्हें वहां शोषण गिना ही नहीं जाता। घाना के एक गांव की स्त्रियों से बातचीत के दौरान सामने आया की 70 प्रतिशत माँए अपनी बेटियों को शादी से पहले यौन सम्बन्ध रखने को मजबूर करती हैं या उत्साहित करती हैं।[7]

सिगमंड फ्रायड ने उन्नीसवीं सदी के तीसरे पहर में ही बहुत कुछ कह दिया था। वह शायद पहला व्यक्ति था। जिसने खुल कर कहा था की हिस्टीरिया बीमारी उसके कुछ मरीजों को इसलिए है क्योंकि बचपन में उनके साथ यौन अत्याचार हुआ था। फ्रायड ने अपने खुद के बचपन की स्मृतियों के बारे में भी साफ कहा की वे कल्पना की बातें या दमित स्मृतियां नहीं है। उन्हें स्पष्ट याद था की बचपन में उनकी आया ने उनके साथ यौनाचार किया । वह बेहद भोंदू थे जिसके वजह से उन्होंने किसी से भी कुछ नहीं कहा। लेकिन जहाँ वह चुक गए थे। वह उस जमाने की पुरुष सतात्मक मानसिकता भी थी और फ्रायड का अपना बाल यौन विकास का सिद्धांत भी। उन्होंने बच्चों को ही दोष दे डालते हुए कहा की बच्चे स्वयं इन यौन प्रक्रियाओं में आकर्षित होते है ओर बड़े उसमें ढूँढ़ लेते है अपनी कामुकता के स्त्रोत। बाद में मेसन और मिलट जैसे मनोवैज्ञानिकों ने कहा की फ्रायड में साहस की कमी के कारण यह सब कहा । उनके समकालीन जुंग भी इस मामले में चुप रहे। फिर भी फ्रायड का योगदान इतना मत्वपूर्ण है की इनके बाद इस शोषण के महासमुद्र का मंथन शुरू हो गया। मनोवैज्ञानिक दृष्टिकोण आज भी इस क्षेत्र का सुक्ष्म दर्शक ही बना हुआ है। शरीरी विज्ञान इन कारणों में नहीं जाता जहाँ चारों ओर फैला हुआ सामाजिक प्रदुषण है जो वास्तव में इस शोषण

[7] http://www.hindisamay.com/vividh/krishn-kishor-in-anyatha/yaun-pradushan-bal-shoshan.htm

का कारण बनता है। समाजशास्त्रियों का हस्तक्षेप इसीलिए इस क्षेत्र में काफी कारगर साबित हो रहा है संतुलित प्रयास आज भी उन समाजों में उतने नहीं हो रहे जहाँ इस विषय पर खुल कर बात करना एक नैतिक झिझक पैदा करता है और जहाँ शिक्षा के क्षेत्र इस बात से अनछुए है। ऐसी ही स्थिति में हमारा समाज भी आया हुआ है। एक विस्फोट है जिसने साधारण समझबूझ के परखचे उड़ा दिए हैं और इधर-उधर बिखरे हुए मूल्य तृणों को इक्ट्ठा करके एक समूची सामाजिक चेतना का चित्र बना पाना एक असामंजस की स्थिति पैदा करता है। समाजशास्त्रियों और मनोवैज्ञानिकों के विश्लेषण और सिद्धांत ग्रन्थ आम आदमी के संपर्क में उस तरह नहीं आते जैसे साहित्य आता है। इस विषय पर एक विपुल सामग्री साहित्य में मिलता है। उपन्यास, कथा, आत्मकथा, संस्मरण, जीवनी तथा अन्य विधाओं में बाल यौन शोषण का परिस्थिति केन्द्रित ऐसा चित्रण है जहाँ हमारे शास्त्रियों को भी अपने सिद्धांत निर्मित करने की विस्तृत अवसर-भूमि मिलती है। साहित्य इस समस्या के बीचों बीच से गुजरता है जो घटित है वहीं नहीं, जो घट सकता है उस का अंदेशा भी वहां मिलता है संभावनाएं एक तिकोने सच की तरह लम्बाई, गहराई और ऊँचाई नाप जाती है संकरी जीवन स्थितियों से गुजरते हुए, संभावनाओं का विस्तार जिस तरह साहित्य में हो सकता है। शायद और जगह नहीं। पश्चिम में विशेषकर अमेरिका में हजारों कृतियां है जो युवा वयस्कों के लिए विशेष रूप से अवर्णित की जाती है सभी संबंधों को समेटती हुई बाल मानों की ये व्यथा कथाएं विशेष रूप से प्रसारित और वितरित की जाती है। हम कुछ ही विश्वविख्यात कृतियों से अपने पाठकों का परिचय करवा रहे है। ये कृतियां घर घर में जानी मानी जाती है और कुछ कृतियां पाठ्यक्रमों का हिस्सा भी बनती है।[8]

[8] http://www.hindisamay.com/vividh/krishn-kishor-in-anyatha/yaun-pradushan-bal-shoshan.html

समस्यायीकरण (research problem):-

बच्चों के साथ होने वाले शोषण, चाहे वो श्रम शोषण हो या यौन शोषण, चाहे वो मानसिक शोषण हो या शारीरिक शोषण वर्तमान समय में बहुत ही सामान्य सी बात होते दिखा ई दे रही है यह शोषण स्कूल हो या घर किसी न किसी रूप में हमारे सामने या फिर हमारे पीठ के पीछे होते चले आ रहे है। आए दिन समाचारों या फिर टी.वी. रेडियों के माध्यम से ऐसे बहुत से खबरों को सुना व देखा जा रहा है जो की बच्चों के भविष्य के साथ एक बहुत ही बुरा व्यवहार है , जिस बच्चों को आज देश और समाज का भविष्य बताया जा रहा है आज वही मासूम भविष्य न जाने कितने तरह के शोषण का शिकार बनते जा रहे है जिस सुनहरे भविष्य को सँवारने हम अपने बच्चों को एक ऐसे स्थान में भेजते है जहाँ आने वाले कल को सँवारने की जिम्मेदारी होती है जिसे विद्या का मंदिर (विद्यालय) कहा गया है। आज वहीं स्थान बच्चों के लिए असुरक्षित हो गया है जिस समाज में हम जीने की कल्पना कर अपने आस-पास के वातावरण को आधुनिक और संपन्न समझ रहे है आज उसी समाज में हमारे बच्चे असुरक्षित हो गये है जीवन जीने के लिए जिस अपनों, रिश्तों, सगे-सम्बन्धियों की जरुरत हमारे समस्या के समाधान के लिए समझते है उन्ही अपनों, रिश्तों, सगे-सम्बन्धियों के बीच एक मासूम सा बचपन दम तोड़ता हुआ जी रहा है बाल यौन शोषण का ये रूप न जाने और कितने रूपों में परिवर्तित होगा।

आज स्कूल हो या घर या फिर कोई और अन्य स्थान, यह तो स्पष्ट है की बच्चों का शोषण किसी अन्य जीवों या प्राकृतिक प्रकोप से नहीं, अपितु मानवों के कृतियों के द्वारा ही हो रहा है जिसका परिणाम हम आसानी से देख और समझ सकते हैं बच्चों के विकास और व्यवहार में जिस प्रकार से परिवर्तन हो रहा है यह असामन्य है जो बहुत ही चिंता का विषय है।

- **परिकल्पनाएं(Hypothesis):-**

➢ विद्यालयों में पढ़ने वाले छात्रों का शोषण होता है।

➢ शोषण से उनके व्यवहारों में कई प्रकार के परिवर्तन भी आते है।

- **शोध प्रश्न(Research Question):-**

➢ विद्यालय में पढ़ने वाले छात्राओं में यौन शोषण का स्वरुप क्या है ?

➢ शोषित छात्राओं की मानसिक व शैक्षणिक स्थिति क्या है ?

➢ शोषित छात्राओं और शिक्षकों के बीच का सम्बन्ध क्या है ?

- **उद्देश्य(Objectives):-**

➢ उत्तरदाताओं से शोषण का पता लगाना।

➢ उत्तरदाताओं से यौन उत्पीड़न व शोषण का पता लगाना।

➢ शोषित छात्राओं के व्यवहार में आने वाले परिवर्तन का पता लगाना।

➢ संभावित समाज कार्य हस्तक्षेप का पता लगाना ।

- **शोध प्रविधि (Research Method):-**

चूँकि यह अध्ययन स्कूल जाने वाली छात्राओं में होने वाली यौन शोषण से आदि गुणात्मक तथ्यों से संबंधित है अत: प्रस्तत लघु शोध अपने चरित्र में गुणात्मक प्रकृति का है। इसके अतिरिक्त प्राप्त आंकड़ो का वर्णात्मक विश्लेष्ण भी किया गया है।

- **शोध प्ररचना(Research Design) :-**

प्रस्तुत शोध में छात्राओं में होने वाले यौन शोषण का विस्तृत वर्णन किया जाएगा। इसलिए यह शोध वर्णात्मक अभिकल्प के अंतर्गत आएगा।शोध से प्राप्त तथ्य पर संभावित हस्तक्षेप सुझाए जाएँगे। इसलिए यह शोध निदानात्मक शोध होगा।

- **वर्णात्मक शोध (Descriptive Research Design):-**

शोधकर्ता का उद्देश्य इस शोध के माध्यम से वर्तमान समय में स्कूल जाने वाली छात्रों में होने वाले यौन शोषण के स्थिति का पता लगाना। साथ ही इस शोषण से संबंधित सुरक्षा नीति व यौन शोषण के लिए बनाए गए कानून और उसके क्रियान्यवयन का पता लगाना।

- **शोध संरचना (Research Setting):-**

यह अध्ययन मूल रूप से स्कूल जाने वाली छात्राओं के साथ होने वाले यौन शोषण से है इस प्रकार के शोषण से स्कूल जाने वाली बच्चों में होने वाले परिवर्तन, व्यवहार व कई तरह के होने वाली समस्याओं का अध्ययन करना है इस शोध के लिए मुख्य रूप से स्कूल जाने वाली छात्राओं व विद्यालय का चयन करना आवश्यक है।

- **अध्ययन क्षेत्र (Populetion of Study):-**

लघु शोध हेतु अध्ययन क्षेत्र के लिए छत्तीसगढ़राज्य के दुर्ग जिले के भिलाई शहर का चयन किया गया। जिसे स्टील का शहर या भिलाई स्टील प्लांट के नाम से जाना जाता है इस शोध के उद्देश्य को पूर्ण करने के लिए यह आवश्यक है की अध्ययन हेतु स्कूल व स्कूल जाने वाली छात्राओं का चयन असानी से किया जा सके, एक ऐसा स्कूल व स्कूल जाने वाली छात्र जो इस शोध के पात्रता को पूर्ण करता हो अत: प्रस्तुत शोध में चयनित क्षेत्र के गायत्री विद्यालय व एम.जी.एम. विद्यालय इस लघु शोध के मानकों को पूर्ण करने के लिए चयन किया गया है।

- **प्रतिदर्श(Sampling):-**

प्रतिदर्श के लिए स्नोबाल तकनीक का प्रयोग किया गया है इसके अंतर्गत एक से दुसरे प्रतिदर्श तक पंहुच बनाई गई है। शोध में 2 बच्चों और 11 ,12 कक्षा के बच्चों के साथ सामूहिक चर्चा की गई तथा इन बच्चों

की उम्र व कक्षा अलग-अलग है शोध कार्य के लिए स्कूल व स्कूल जाने वाली छात्राओं से बात की जानी थी शोध में जिन जिन उतार्दाताओं से बात की गई, उनमें से एक 4 साल की बच्ची थी ,दूसरी बच्ची की उम्र11-12 के बीच की थी व तीसरी साक्षात्कार में स्कूल की छात्रों से सामूहिक चर्चा की गई और साथ ही साथ शोध के उद्देश्य को पूर्ण करने के लिए स्कूल प्रबंधक या स्कूल के प्राचार्य से भी तथ्यों का संकलन करना भी आवश्यक था। जिसके लिए अलग अलग विद्यालय के प्रबंधक व प्राचार्य का चयन किया गया जो इस शोषण से संबंधित जानकारी रखते हों

- **विधि (Method)**

प्रस्तुत लघु शोध में प्राथमिक आंकड़ों के संग्रहण के लिए निम्न विधियों का प्रयोग किया गया है।

- **अवलोकन विधि(Observation Method) :–**

प्रस्तुत लघु शोध में प्राथमिक सामग्री की प्रत्यक्ष के रूप में शोध से संबंधित आंकड़े एकत्रित करने के लिए असहभागी अवलोकन व सहभागी अवलोकन पद्धति की सहायता ली गई है। इसकी सहायता से ज्ञानेन्द्रियों द्वारा नवीन व प्राथमिक तथ्यों का विचारपूर्ण संकलन करने का प्रयत्न भी किया गया है।

- **वैयक्तिक अध्ययन विधि(Case Study Method) :–**

वैयक्तिक अध्ययन विधि की सहायता से प्रतिदर्श द्वारा चयनित इकाइयों का गहन व सूक्ष्म अध्ययन प्रस्तुत करने का प्रयास किया गया है इसके अंतर्गत 2 अलग-अलग उम्र व कक्षा में पढ़ने वाली छात्राओं व 11,12 कक्षा में पढ़ने वाली छात्राओं का सामूहिक चर्चा कर शोध से संबंधित गूढ़ जानकारी प्राप्त करने का प्रयत्न लिया गया है।

- **मौखिक इतिहास(Oral History) :-**

यह वैक्तिक, पारिवारिक, विशेष घटना या रोजमर्रा के जीवन से संबंधित ऐतिहासिक सूचना के अध्ययन और संकलन की एक प्रविधि है। लघु शोध में इस पद्धति की सहायता से अध्ययन क्षेत्र से संबंधित

ऐतिहासिक आंकड़ों को क्षेत्रवासियों के मानसिक पटल से लेकर लिखित रूप देने का प्रयास किया गया है और उन लिखित आंकड़ों की सहायता से लघु शोध को यथार्थ के सन्निकट लाने का प्रयत्न किया गया है।

द्वितीयक आंकड़ों के संकलन के लिए सैद्धांतिक अध्ययन विधि का प्रयोग किया गया है इसके अंतर्गत स्कूल जाने वाली छात्राओं का यौन शोषण से संबंधित महत्वपूर्ण दस्तावेज तथा पुस्तके, जनरल, आलेख, प्रकाशित व अप्रकाशित शोधग्रंथ, अखबार, पत्र-पत्रिकाएँ, इंटरनेट व इनसे संबंधित कानून को देखने का प्रयास किया गया है तथा समीक्षा की गई है। आदि का प्रयोग करते हुए स्पष्ट, बेहतर और प्रभावी विश्लेषण प्रस्तुत करने का प्रयत्न किया गया है।

- **तकनीक व यंत्र (Tool &Techniques)**

➢ **असंरचनात्मक साक्षात्कार(Unstructured Interview):-**

प्रस्तुत लघु शोध में किसी विशेष अनुसूची का प्रयोग न करते हुए असंरचनात्मक साक्षात्कार तकनीक का प्रयोग किया गया है विषय से संबंधित केंद्र बिंदु को चेतनापूर्ण आधार रखकर मुक्त रूप से इकाई के मानसिक और सामाजिकविचारों को जानने का प्रयास किया गया है असंरचनात्मक साक्षात्कार हेतु केंद्र में रखे गए अध्ययन से संबंधित बिंदु निम्न है।

- इकाई की एतिहासिक और वर्तमान में मानसिक और सामजिक प्रस्थिति।
- स्कूल से संबंधित गतिविधि
- स्कूल व घर से संबंधित
- शिक्षकों व छात्राओं से संबंधित

➢ **क्षेत्र टिप्पणी(Field Notes) :-**

क्षेत्र कार्य में सहभागिता के दौरान विषय से संबंधित कुछ मुख्य, बिन्दुओं, विचारों और भावों को भी संकलित करने का प्रयास किया गया है।